

एवं नोट्या-मिं(27)००५०-५३/८३

१०

किंवा ०७३६२,

मिस्र मिलाय ।

पटना, बिहार

के० एम० शर्मा,
परिकार के संयुक्त विधय ।

पाणी विधायी प्रधान सचिव,

पाणी विधायी सचिव,

पाणी विधायीकारी ।

अधिक भारतीय सेखा के पदाधिकारी ओ दिनांक 01.01.04 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों पर प्रार्थी अन्य ज़िले प्रेषण योजना के मंवंथ में ।

संयुक्त विधय के मंवंथ में नियोजित फहना है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा प्रार्थी अन्य ज़िले के लिए वर्तमान प्रेषण योजना के रूपमें पर नहीं प्रेषण योगमा भाग्य भी गई है ।

दिनांक 01.01.04 या उसके बाद नियुक्त अधिक भारतीय सेखा के पदाधिकारीयों पर भी उपर्युक्त गांदेश प्रार्थी होना। इस योजना अन्तर्गत प्रार्थी विधिय नियम की कठीनी नहीं होगी, उसके रूपमें पर वेतन एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग्यता का 10% गणि संयुक्त आयुर्वेद सेखा प्रशासक द्वारा आवंटन 12 गंभीर की लेखा संख्या में नियुक्ति के उपरांत योगदान के अन्तर्गत सेवा गमा प्रारंभ होगी एवं उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जायगी ।

अधिक भारतीय सेखा के विवार संघर्ष के पद पर जाने के पूर्व घटि के परिचयान (प्रोवेशन) में हो तो, उपर्युक्त अधिक भारत सरकार अनुदान की कठीनी नहीं हुई हो तो, उस दायरी का वेतन एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग्य का 10% राशि संयुक्त आयुर्वेद सेखा प्रार्थी की गमा की गमी एवं राज्य सरकार अपने अनुदान के रूप में वेतन एवं अनुपासन यापन भत्ता के योग्य का 10% गणि अपतन करायेगा । इसके लिए पुष्ट शोध-2071-प्रेषण तथा राज्य सेखा, उपर्युक्त-01-सिविल, अनुमान्य 800 राज्य व्यय उप शोध 0001 अंगदार्थी देशन के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि का प्रावधान किया गया है ।

भारत सरकार के ज्ञापनक दिनांक 28/३०/०५ वी.एल.वी.उक्य. (वी.) दिनांक 26.7.05 की नियोजित-2(1) के अनुदान 31.12.05 की जायता उसके पूर्व केन्द्र सरकार जायता केन्द्र सरकार द्वारा गठित निकाय में नियुक्त पुरानो प्रेषण योजना द्वारा शासित होते थे, जो के बड़ तकनीकी रूप से त्याग घब दिये जाने पर उनकी विगत योग की गणना की जायगी एवं पुरानी प्रेषण योजना से शासित होते होंगे ।

विश्वासभाजन,

५०

(के० एम० शर्मा)

परिकार के संयुक्त विधय ।

३५ वृ०

वी.एल.वी.उक्य. (वी.) दिनांक 08/11/05

प्रतिलिपि-संयुक्त आयुर्वेद सेखा प्रशासक/सभी कोषागार/सभा उप कोषागार को पूर्वान्य प्रेषित ।

(के० एम० शर्मा)

परिकार के संयुक्त विधय ।

५०